राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (58)/2021/1278 दिनांकः– 8-9-2021

जोनल मैनेजर /मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
..... आगार।

विषयः– राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 18.09.2021 को आयोजित "कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021" की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के सम्बन्ध में ।

सदर्भः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा–58/2021/1147 दिनांक 16.4.2021

विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021–2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(5) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में दिनांक 18.09.2021 को आयोजित होने वाली **"कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021"** की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी है।

इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1. **"कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021"** की परीक्षा दिनांक 18.09.2021 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक आयोजित होगी।
2. **इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक जाने हेतु दिनांक 17.09.2021 को 00:00 बजे से 18.09.2021 को 10.00 बजे तक देय होगी एवं परीक्षा उपरान्त केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक वापसी हेतु 18.09.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे से दिनांक 19.09.2021 को 24:00 बजे तक उपलब्ध होगी।**
4. बस यात्रा का उद्धेश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
5. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
6. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकिट लेकर यात्रा करनी होगी।
7. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियो को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकिट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकिट बनाया जा सकें।
8. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
9. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते है परन्तु यात्रा का उद्धेश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)